प्रकरण संख्या 104/2012 खेमा व अन्य बनाम अर्जुनसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा देबारी, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 4909 से 4913 रकबा 0.6550 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1489 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा थे। मौजा तुलसी की सराय की साबिक आराजी नंबर 226/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा को वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित पड़ोस की भूमि को खातेदार इब्राहिम व मोहम्मद बक्ष पिता अहमद जी मुसलमान ने श्री डूंगाजी, खेमाजी, भूराजी, लालाजी, चेनाजी पिता हीराजी डांगी को दिनांक 22.06.1964 को 500/- में रजिस्टर्ड विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से वादीगण काबिज चले आ रहे हैं, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 7 से 11 को विक्रय कर दी, जबकि उनका कब्जा कभी नहीं रहा। उक्त आराजियात के आधे हिस्से पर वेला (नदी) तथा आधे हिस्से पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। आराजी नंबर 4912 पर वादीगण ने कुंआ खोद रखा है तथा आराजी नंबर 4913 पर ट्यूबवेल भी खुदवाया है, जिससे आराजियात की पिलाई करते हैं। प्रतिवादी संख्या 7 से 11 ने अवैध विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया है, जो अवैध होकर निरस्त योग्य है। अतः विवादित आराजियात का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 9 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 25.06.2012 वादीगण का वाद साबित नहीं पाये जाने के आधार पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 29.08.2012 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर कि[illegible] रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्[illegible] संख्या 7 से 11 की ओर से वकील श्री मनीष मागरा उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डे[illegible] बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:13 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील की कार्यवाही हेतु अपीलान्ट संख्या 3 भगा को नियुक्त कर रखा था, किन्तु वह बीमार हो जाने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने में मात्र 4 दिन का विलम्ब हुआ है। अतः गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा नुमाईशी विक्रय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 11 के पक्ष में किया गया है, जबकि उनका कब्जा विवादित भूमि पर कभी नहीं रहा। उक्त आराजियात के आधे हिस्से पर वेला (नदी) है तथा आधे हिस्से पर अपीलान्टगण का कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्टगण दिनांक 22.06.1964 रजिस्टर्ड विक्रय पर से विक्रय पत्र में वर्णित पड़ोसों की मध्य की भूमि पर बिना रोक टोक काबिज चले आ रहे हैं, जिसे वादीगण ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित कराया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि विवादित आराजियात उनके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है, तब से निरस्तर काबिज चले आ रहे हैं। अपीलान्टगण न तो विवादित आराजियात के खातेदार हैं एवं न ही उनका कब्जा है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:13 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर गौर कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट [illegible] नंबर 1 से 5 वादीगण के जिम्मे की होने से पांच तनकियों का एक साथ

विवेचन करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर यह माना कि ''वादीगण के पूर्वाधिकारी द्वारा जो मौजा तुलसीदास जी की सराय में आराजियात क्रय की है वह हाल रिकार्ड अनुसार भी वादीगण के खाते दर्ज हैं तथा साक्ष्यों से वादीगण का कब्जा भी विवादित आराजियात पर साबित नहीं होता है।'' उक्त आधार पर उक्त तनकियां वादीगण के विरूद्ध निर्णित की हैं। इसी प्रकार साक्ष्यों के आधार पर तनकी नंबर 6 व 7 भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की है तथा तनकी नंबर 8 जिसे साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 7 से 11 पर था, विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 7 से 11 के खाते दर्ज होने से उनके पक्ष में तय की है।

इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रदर्श 4 भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक अनुसार मौजा तुलसीदास जी की सराय के साबिक आराजी नंबर 226/1 के हाल आराजी नंबर 694, 695 व 706 बने हैं। अपीलान्ट/वादीगण यह साबित कराने में असफल रहे हैं कि मौजा तुलसीदास जी की सराय के साबिक आराजी नंबर 226/1 जो उनके द्वारा क्रय की गयी है, उससे विवादित आराजी नंबर 4909 से 4913 बने हैं। राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी नंबर 4909 से 4913 रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के खाते दर्ज होने से उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 09.01.2007 को रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 7 से 11 पक्ष में किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं अपील सारहीन पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.06.2012 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं अतिरिक्त अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:13 IST
Reason: SelfAttested